न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

निगरानी संख्याः–21 / 22 वर्ष 2022
जीसीएमएस संख्याः– (2022 / 169
बउनवानीः–1. तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) चौथ का बरवाडा

बनाम

1. रामावतार पुत्र देवलाल गुर्जर निवासी भेडोली तहसील चौथ का बरवाडा
2. बलासी पत्नि रामावतार गुर्जर निवासी भेडोली तहसील चौथ का बरवाडा

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 11.6.2002 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री विष्णु कुमार माथुर नायब तहसीलदार पैरोकार
2. श्री छोटू सिंह गुर्जर वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 27.5.2025

तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 11.6.2002 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

पैरोकार राजस्व ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वाके ग्राम भेडोली की आराजी ख0न0 206 रकबा 0.16 है0 ख0न0 216/728 रकबा 0.06 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 11.6.2002 को किया गया था जिसका गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 2 दिनांक 15.7.2002 को स्वीकार हुआ है। उक्त आवंटित भूमि पर वर्तमान में आवंटी का कब्जा नही है तथा आवंटी वर्तमान में भी उक्त भूमि का वर्तमान में गैर खातेदार कृषक है जो सदभावी कृषक नही है। चूंकि आवंटित भूमि पर आवंटीं कब्जा काश्त नही है ओर ना ही खातेदारी प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति मे निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी आवंटन आदेश दिनांक 11.6.2002 को खारिज करने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र विधिविरूद्व पेश किया गया है क्योकि मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 2.7.2024 के अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त होने के बावजूद भी तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा यह निगरानी इस कथन के साथ पेश की गयी है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही होने से आवंटन खारिज किया जावे। आवंटित भूमि ख0न0 206 रकबा 0.16 है0 मे से 0.10 है0 भूमि पर लेखराज पुत्र उदालाल गुर्जर का कब्जा दिखाया गया है किन्तु स्वंय लेखराज द्वारा दिनांक 8.5.2024 को इस आशय का शपथ पत्र न्यायालय हाजा मे पेश किया है कि उक्त आवंटित भूमि ख0न0 206 एवं 216/728 रकबा 0.06 है0 पर आवंटी रामावतार पुत्र देवलाल व बलासी पत्नि रामावतार गुर्जर का आवंटन दिनांक से लगातार कब्जा काश्त है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी विधिविरूद्व पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:48 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा वाके ग्राम भेडोली के ख0न0 206 रकबा 0.16 है0 एवं ख0न0 216/728 रकबा 0.06 है0 पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होने एवं आवंटित भूमि का आवंटी गैरखातेदार सदभावी कृषक नही होने के कारण आवंटन खारिज करवाने बाबत पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट कमश दिनांक 10.8.2021 मे आवंटी का कब्जा काश्त नही बताया गया है जिसपर अनेक गवाहो के भी हस्ताक्षर है, किन्तु मौका रिपोर्ट दिनांक 13.7.2022 मे आवंटी का ख0न0 206 रकबा 0.16 है0 मे से 0.06 है0 एवं ख0न0 216/728 रकबा 0.06 है0 कुल 0.12 है0 कब्जा बताया गया है ख0न0 206 के शेष रकबा 0.10 है0 पर लेखराज पुत्र उदालाल का कब्जा बताया गया है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट दिनांक 2.7.2024 मे आवंटित भूमि ख0न0 206 रकबा 0.16 है0 व ख0न0 2016/728 रकबा 0.06 है0 पर आवंटी का कब्जा काश्त बताया गया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का लगातार कब्जा नही रहा है व सम्भवतः 9.6.2022 को तहसीलदार द्वारा रैफ. पेश करने के पश्चात आवंटी द्वारा पुनः कब्जा करने का व अपने पक्ष में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास किया गया व आवंटी सद्भावी कृषक भी नही है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.7.2022 एवं 2.7.2024 मे अप्रार्थी का कब्जा दर्शाया जो प्रस्तुत निगरानी मे अंकित तथ्यो के विरूद्व है। यह निगरानी प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। अतः मौका रिपोर्ट दिनांक 10.8.2021 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही है ओर आवंटी को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही हुऐ है। जिससे यह भंलिभांति साबित हो जाता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी है। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी आवंटन आदेश दिनांक 11.06.2002 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:48 IST
Reason: SelfAttested